न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/53/2018	13–03–2018	13–05–2019

01– नन्दलाल पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी ग्राम बघाना तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम, जिला अलवर, राज0

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कोटकासिम दिनांक 01.08.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 47/2017

उपस्थितः–

01–श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 01.08.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट का ग्राम बघाना की सरकारी गै0मु0 नदी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2129/1939 रकबा 5.56 है0 में से 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व खडी फसल को जप्त सरकार कर निलामी करने एवं पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बघाना की सरकारी गै0मु0 नदी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2129/1939 रकबा 5.56 है0 में से 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2015 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व खडी फसल को जप्त सरकार कर निलामी करने एवं पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को नियमित अतिचारी माना है। पूर्व में भी तहसीलदार कोटकासिम द्वारा निर्णय दिनांक 26.02.2017 प्रकरण संख्या 120/2015 पारित किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें श्रीमान द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का निर्णय निरस्त किया गया था तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गयी थी कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पूर्व में किये गये निर्णय दिनांक 25.05.1982 के परिपेक्ष में नियमानुसार विधिवत् निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के रिमांड आदेश की पालना नहीं करते हुए निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.2008 द्वारा अपीलांट का प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि के नियमन पर विचारार्थ तीन माह में निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलांट का उक्त आराजी पर सन् 1970 से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है तथा राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6), जयपुर के आदेश दिनांक 04.05.1970 के अनुसार दिनांक 31.12.1969 तक चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण नियमित किये जा सकते है। अपीलांट का प्रकरण भी उक्त परिपत्र की परिधि में आता है। अपीलांट उक्त आराजी पर करीब 55–60 साल से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा रिहायसी मकान व पशुधन रखने के लिए मकानात् बने हुए है। सिचांई हेतु बोरिंग भी लगी हुई है। जिस पर विद्युत कनेक्शन भी जारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार कोटकासिम का निर्णय दिनांक 01.08.2017 प्ररकण संख्या 47/2017 निरस्त फरमाया जावें तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र अनुसार निर्णय कर अपीलांट के पक्ष में नियमन किये जाने के आदेश फरमावे जावें। अपील के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय दिनांक 07.05.2008, राजस्व विभाग का पत्र दिनांक 04.05.2002 की छायाप्रतियां पेश की है।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 01.08.2017 के विरूद्ध दिनांक 13.03.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलार्थी की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्व निर्णय दिनांक 07.04.2017 से प्रकरण को रिमांड कर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये गये थे कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान करें तथा पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 25.05.1982 के परिपेक्ष में विधिवत् निर्णय पारित करें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। पूर्व निर्णयों में अपीलांट का कब्जा सन् 1970 से पूर्व का मानते हुए नियमन

अतिरिक्त जिला कलक्टर

की सिफारिश की गई थी। चूंकि चारागाह भूमि/जौहड़ तालाब की भूमियों में से दी गई भूमि के नियमन/आवंटन पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 से रोक लगा दी गई थी। रोक होने के कारण नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त परिपत्र दिनांक 25.04.2011 के बारे में अग्रिम निर्देश आने तक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.08.2017 स्थगित रखा जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 में पारित अग्रिम निर्देशानुसार पालना की जावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13–05–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)